



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप-3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 40(63)ग्रावि / नरेगा / Conver. General / पार्ट-2 / 2019

जयपुर, दिनांक:

जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस,
एवं जिला कलेक्टर, जिला-समस्त।

20 JUL 2022

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने बाबत।

प्रसंग:- विभागीय पत्र एफ 40 (63) ग्रावि / नरेगा / कन्वर्जेंस जनरल / पार्ट-2 / 2015 दिनांक 16.07.2015।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नवीन निर्माण कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं से कन्वर्जेंस किये जाने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा जारी महात्मा गांधी नरेगा ऑपरेशलन गाईड लाईन, 2013 के पैरा संख्या 2.4.2 (ix) एवं पैरा संख्या 6.8 पर प्रदत्त शक्तियों/प्रावधानों के क्रम में ग्राम पंचायत को रूपये 5.00 लाख तक तथा पंचायत समिति को रूपये 10.00 लाख तक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु अधिकृत किया गया था। भारत सरकार द्वारा पूर्व ऑपरेशलन गाईड लाईन 2013 को अधिकमित करते हुये जारी मास्टर परिपत्र में पैरा संख्या 2.4.2 (ix) एवं पैरा संख्या 6.8 पर किये प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है। अतः प्रासंगिक पत्र दिनांक 16.07.2015 द्वारा जारी उक्त आदेश को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 (संशोधित) के पैरा संख्या 14 (3) (सी) के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की समस्त शक्तियां जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलेक्टर को प्रदान की जाती है। साथ ही ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 के पैरा संख्या 22 पर उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्माण कार्यो के संपादन हेतु दी गई कार्य संपादन की अवधि की पालना सुनिश्चित की जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(के.के.पाठक)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
6. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस।
7. परियोजना निदेशक, उप सचिव, ईजीएस।
8. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
9. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग।
10. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
11. अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
12. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद, समस्त।
13. श्री रिंकू छीपा, प्रोग्रामर ईजीएस को भेजकर लेख है कि पत्र को वेबसाईड पर अपलोड करें।

20/7/2022
अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस